

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

No. AIDS/Estt./Misc(44) Pt- III/2011/ 2180

Date : 7-4-11

आदेश

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा दिनांक 21.12.10 को लिखित परीक्षा एवं दिनांक 28.01.11 को आयोजित साक्षात्कार में चयन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थियों को काउन्सलर के पद पर पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर रूपए 8,000/- प्रतिमाह फिक्स मानदेय पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 31.03.2012 तक के लिये अनुबन्ध की शर्तों के अतिरिक्त निम्न विशेष शर्तों के आधार पर लगाया जाता है:-

Sr. No.	Roll No.	Name of Applicant and Address	Place of Posting
01	Cr-5	Mr. Suresh Chand (Suresh Arjun) S/o Sh. Gopal Ram 10/325, Jubli Bas, Gali No. 1, Scheme No. 2, Alwar	STD Clinic, District Hospital, Barmer
02	Cr-9	Mr. Ajay Kumar Sharma S/o Sh. Suresh Chand Sharma S.M. Niwas, In front of Govt. Aaurvedic Hospital, Near Old Bus Stand, The. Deeg, Bharatpur-321203	ICTC, CHC-Rajgarh, Distt.-Alwar
03	Cr-12	Mr. Pramod Kumar Singh S/o Sh. Raghunath Singh Mahaveer Colony, Post & The. - Bhim Rajsamand-305921	ICTC, CHC-Begun, Distt.- Chittorgarh
04	Cr-13	Mr. Rajender Singh S/o Sh. Avtar Singh Aulakh, VPO - Lagarh, Jattan, H.No. 610, W.N. 07 Sri-Ganganagar-335037	ICTC, District Hospital, Sri Ganganagar
05	Cr-15	Mr. Sita Ram S/o Sh. Madan Lal V.P.O. : Sahjipura, The & Dist Hanumangarh-335801	Blood Bank. Govt. S.K. Hospital, Sikar
06	Cr-21	Mr. Suresh Chand Sharma S/o Sh. Tara Chand Tiwari Vill - Nakhar, Via Kuchil Ajmer-305811	ICTC (P), District Hospital, Pali
07	Cr-32	Mr. Suresh Kumar Saini S/o Sh. Dhura Ram Saini Q.No. E-125, Ilird C, Khetri Nagar, Jhunjhunu	ICTC, CHC-Sindhari, Distt.-Barmer
08	Cr-38	Mr. Sunil Kumar Kamaliya S/o Sh. Mahendra Kumar Kamaliya Plot No. 89, Maharana Pratap Colony, Sawai Madhopur	STD Clinic, M.B.S. Hospital, Kota
09	Cr-45	Mr. Musarrat Miyan S/o Sh. Sadia Miyan Miya Ka Chowk, Old Tonk, Tonk	STD Clinic, District Hospital, Pratapgarh
10	Cr-49	Mr. Naveen Kumar Jain S/o Sh. Jai Kumar Jain PHC - Mathana, Block - Baran Baran-325205	STD Clinic, J.K.Loan Hospital, Kota

11	Cr-51	Mr. Ashutosh Rathore S/o Sh. S.N.S. Rathore House No. 22, Godhmagari, Shobhagpura, Via-Badgaon, Udaipur-313011	Blood Bank, M. B. Hospital, Udaipur
12	Cr-53	Ms. Poonam Darolia D/o Sh. Badri Lal Gautam 400, Garden Gajban Road, Sector-3, Hiran Magri, Udaipur-313002	ICTC, Saitalite Hospital, Hiranmagari, Udaipur
13	Cr-74	Mr. Hemant Kumar Solanki S/o Sh. Ram Kishan Solanki E-797, Near Aditya School, V.S.P. Nagar, Bhilwara	ICTC, A.K. Hospital, Beawar, Distt.-Ajmer
14	Cr-80	Mr. Zameer Ahmed S/o Sh. Raheem Buksha Sadar Gali, W.No. 04, Deshwali Mohalla, Gandhi Nagar, Madanganj Kishangarh, Ajmer-305801	ICTC, CHC-Semari, Distt.-Udaipur
15	Cr-93	Mr. Pawan Kumar S/o Sh. Jagdish Prasad Col. Ganeshi Lal ki Haveli, Mohalla-Gopalgarh, Bharatpur	ICTC, District Hospital, Bharatpur
16	Cr-101	Mr. Kailash Sharma S/o Sh. Netram Sharma Near Gahanpal Bagichi, Katra Nadbai, Bharatpur-321602	ICTC, District Hospital, Pratapgarh

विशेष शर्त :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अनुबंध के आधार पर की जाती है। भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित करने के लिए आप कोई क्लेम नहीं करेंगे एवं ना ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेंगे।
2. सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए यह नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक मान्य होगी तत्पश्चात् उनकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेंगी।
3. अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रस्तुत करने के पश्चात् सोसायटी द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र (फोटो प्रति संलग्न) राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर कार्यग्रहण की तिथि से तीन दिवस में निष्पादित कराकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन पश्चात् संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
4. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा दो राजपत्रित अधिकारी/जन प्रतिनिधि द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति उपस्थिति के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
6. कार्मिक संबंधित विभागाध्यक्ष के दिशा-निर्देशन में नाको एवं राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं नियमों के अध्याधीन कार्य सम्पादित करेंगे।


 परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, 9वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (बीएस एण्ड क्यूए), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (बेसिक सर्विसेज), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
6. उप निदेशक (एसटीआई), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
7. अधीक्षक, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निष्पादित होने व नोटेरी पब्लिक से सत्यापन पश्चात् तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज के साथ रिकार्ड में रखें। उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित होने वाले अनुबन्धित काउन्सलर के अनुबन्ध पत्र अपने रिकार्ड में रखें।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निष्पादित होने व नोटेरी पब्लिक से सत्यापन पश्चात् तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज के साथ रिकार्ड में रखें। उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करावें।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला को प्रेषित कर लेख है कि को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निष्पादित होने के पश्चात् नोटेरी पब्लिक से सत्यापन पश्चात् तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाते हुये उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
11. संबंधित अभ्यर्थी को प्रेषित कर लेख है कि अपनी उपस्थिति दिनांक 21.04.2011 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्तिम तिथि पश्चात् कार्यग्रहण कराया जाना सम्भव नहीं होगा। उक्त तिथि के पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावें।
12. कार्यालय प्रति।


परियोजना निदेशक